

बिमला / भंवरसिंह - 167/2015

दिनांक	आज्ञा पत्र	
24.9.24	<p>पत्रावली पैसा। दफ्तरी अपीलत एव अपीलत त्वय को बार बार आवान दिलाई गई न्यायालय समय सांख्यिक 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया अन्तर्गत बावजूद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता तामुपरिचित रहे फलस्वरुप अपील अपीलान्त अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय एवं इजाजत सुनाया गया। प्रकरण फैसल सुनाए होकर नम्बर से काम होकर बाद तुरतीब तकमील दाखिल दफतल हो।</p> <p style="text-align: right;">24/9</p> <p style="text-align: right;">भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प कुन्डान)</p>	